सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 11, सोमवार, शाके 1943-जनवरी 31, 2022 *Magha 11, Monday , Saka 1943- January 31, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2022

जी.एस.आर.404 :-राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.23(13)उद्योग/1/2020 दिनांक 28.12.2020, जिसके द्वारा खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना विनिधान क्षेत्र घोषित किया गया था, में निम्न संशोधन करती है, अर्थातः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी के शीर्ष 2 तहसील मुण्डावर के राजस्व ग्राम के नीचे दी गयी सूची में क्रम संख्या 27 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्या 28 व इसकी प्रविष्टि जोडी जायेगी, अर्थातः-

“

28.	हरिनगर

”

[संख्या प.28(13)उद्योग/1/2020]

राज्यपाल की आज्ञा से,

टी. रविकान्त,

प्रमुख शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.